fgekpy izns'k vkokl ,oa 'kgjh fodkl izkf/kdj.k fo|qr e.My U;w f'keyk ds ys[kkvksa vof/k 04@10 ls 03@11 rd dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu

Hkkx&,d

1 ¼d½ izLrkouk %&

निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) को, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम–2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहीत प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एच0एस0जी0–4(डी)1–1/92/2 दिनांक 13.09.2004 के अनुसार, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है। तदानुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के विद्युत मण्डल न्यू षिमला के लेखाओं अवधि 04/10 से 03/11 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ईंजिन्यिर संजय पण्डित अधिषासी अभियन्ता द्वारा इस मण्डल के आहरण/संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

¼[k½ vfu;ferrkvksa dk laf{kIr fooj.k

Øe la[;k	xEHkhj vfu;ferrk dk laf{kIr fooj.k	iSjk la[;k	jkf'k ¼₹½ yk[kksa esa	i"B la[;k
1	दिनांक 31.03.11 तक स्टॉफ अग्रिम की असमायोजित राषि	4(1)	1.87	3
2	31.03.11 को विभिन्न अग्रिम असमायोजित राषि	4(2)	2.54	4
3	संविदाकारों से सुरक्षित अग्रिमों की शेष राषि	5	23.84	5
4	राज्य विद्युत बोर्ड से निक्षेप कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	6	5108.51	6
5	वाहनों में ईंधन खपत निर्धारित माप दण्डों से कम होने के कारण वसूली	7	0.88	6
6	इंधन का सम्भावित दुर्विनियोजन	9		12

¼x½ xr vad{k.k ifronu ¼&

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न परिशिष्ट ''क'' में दर्षाई गई है। वर्ष 04/92 से 03/2010 तक मण्डल से सम्बन्धित 47 शेष हैं जिनका वर्ष वार विवरण निम्न प्रकार है:–

Øe l[;k	o"k	'k"k ijk dh l[;k	fVIi.kh
1	04/92 से 03/93	1	
2	04/95 से 03/96	1	
3	04/97 से 03/98	1	
4	04/98 से 03/99	1	
5	04/2000 से 03/2001	2	
6	04/2001 से 03/2002	2	
7	04/2002 से 03/2003	1	
8	04/2003 से 03/2004	3	
9	04/2004 से 03/2005	6	
10	04/2005 से 03/2006	5	
11	04/2006 से 03/2007	2	
12	04/2007 से 03/2008	4	
13	04/2008 से 03/2009	9	
14	04/2009 से 03/2010	8	
	dy ;kx	47	

अतः अधिषासी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास विद्युत मण्डल न्यू षिमला उपरोक्त शेष आडिट पैरों में अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त इन पैरों का निस्तारण करवाना सुनिष्चित करें।

Hkkx&nk

2 orekuu vd{k.k ¼&

हिमाचल प्रदेष आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल षिमला के लेखाओं अवधि 01.04.10 से 31.03.11 तक का अंकेक्षण कार्य श्री हरदेव सिंह शांडिल, अनुभाग अधिकारी तथा श्री हितेष शर्मा, आर्टिकल असिस्टैन्ट द्वारा श्री पदम सिंह कंवर, उप निदेषक के पर्यवेक्षण में दिनांक 29.09.2011 से 20.10.11 तक षिमला किया गया माह मार्च, 2011 के लेखाओं का चयन विस्तृत जाँच हेतु किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैरों में समाविष्ट किया गया है अनुवर्ती पैरों में वर्णित अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया।

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन हिमाचल प्रदेष आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल षिमला के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख तथा सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं के गलत अथवा अपूर्ण होने की अवस्था में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष उत्तरदायी नहीं है।

3 vd{k.k 'kYd ¼&

अंकेक्षण अवधि 04/2010 से 03/2011 के अंकेक्षण शुल्क की गणना तथा मांग अलग से की जाएगी।

4 ¼i½ fnukd 31-03-11 dk LVkQ vfxe dh jkf'k ₹1-87 yk[k lek;ktu grq 'k"k ¼&

अधिषाषी अभियन्ता हिमाचल प्रदेष शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल षिमला द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.11 तक स्टाफ को दिए गए अग्रिम की राषि ₹1,87,246/–का समायोजन लम्बित था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

Øe l[;k	depkjh dk uke o in	fnukd 31-03-11 dk vlek;ftr vfxe dh jkf'k
1	श्री सुरेन्दर कुमार, चालक	79,311.00
2	श्री रोषन लाल, चालक	(–) 23,060.00
3	श्री राजेन्दर पाल, चालक	1,02,973.00
4	श्री सुरेन्दर सिंह, चालक	(–) 3,982.00
5	श्री दुनी चन्द, चालक	(–) 1,952.00
6	श्री दिनेष कुमार, चालक	(–) 3,235.00
7	श्री नन्द लाल, चालक	1,410.00

8	श्री नरेष कुमार, चालक	(–) 8,017.00
9	श्री दुर्गा दास, चालक	10,561.00
10	श्री सुरेष सुमन, चालक	(–) 566.00
11	श्री जगदीष कुमार, चालक	(–) 19,962.00
12	श्री सुरेष कुमार, चालक	(–) 38,834.00
13	श्री सुनील कुमार, क्लीनर	13,720.00
14	श्री रमेष कुमार चालक	54,424.00
15	श्री प्रकाष चन्द, चालक	20,001.00
16	श्री मनोहर लाल, चालक	(–) 4,526.00
17	श्री दुगी राम, चालक	9,000.00
	dqy ;ksx	₹1]87]246-00

हिमुडा विद्युत मण्डल षिमला के किसी भी अधिकारी द्वारा उपरोक्त अग्रिम राषियों का समायोजन करने हेतु प्रभावषाली पग नहीं उठाए गए जो कि एक गम्भीर मामला है। अतः उपरोक्त मामलों में राषि की वसूली पैनल ब्याज सहित अविलम्ब की जाए व अधिकारी/कर्मचारी जो अपेन मामले समायोजन हेतु समय पर प्रस्तुत नहीं करते उनके विरूद्ध भी यथोचित कार्यवाही अमल मे लाई जाए ताकि निष्चित समय अवधि में अग्रिमों का समायोजन हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼ii½ 31-03-11 dk fofo/k vfxze dh jkf'k ₹2-54 yk[k lek;kstu gsrq 'ks"k ½&

अधिषाषी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेष शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल षिमला द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.11 तक विविध अग्रिम की राषि ₹2,53,665/– समायोजन हेतु शेष थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

Øe la[;k	deZpkjh@laLFkku dk uke	fnukad 31-03-11 dks lek;kstu vfxze
1	निदेषक, रूरल हाऊसिंग विंग षिमला	4,794.55
2	निदेषक, आर0आई0डी0 षिमला	5,775.20
3	एम0डी0एच0पी0एम0सी0 षिमला	950.55
4	निदेषक, इण्डस्ट्रीज षिमला	369.60
5	इन्स्टीटयूट ऑफ इन्जीनियर्ज षिमला	721.50
6	श्री दिनेष कुमार, चालक	845.00
7	श्री सुरेन्दर सिंह, चालक	37,246.00
8	श्री सुरेन्दर कुमार, चालक	910.00
9	श्री नरेष कुमार, चालक	1,332.00

10	श्री दुर्गा दास, चालक	77,293.00
11	श्री राजेन्दर पाल, चालक	1,24,917.00
12	श्री सुनील कुमार, क्लीनर	(–) 5,608.00
13	मैं0 शर्मा एंड कम्पनी षिमला	306.00
14	श्री आर0एस0 ग्रिप्टा	3,812.00
15	डिप्टी कन्ट्रौलर प्रिंटींग एंड स्टेषनरी	1,00.00
	dy ;kx	₹2]53]665-40

अतः अधिषाषी अभियन्ता उक्त राषि के यथा समय समायोजन हेतु उचित कार्यवाही करना सुनिष्चित करें। अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

5 fofHkUu lfonkdkjk ls ₹23-84 yk[k d lqjf{kr vfxzek dh olyh 'k"k %&

हिमुडा विद्युत मण्डल षिमला द्वारा बिजली निर्माण कार्यों के लिए सुरक्षित अग्रिम राषियों में से भुगतान किए गए ₹23,84,157.00 की राषि दिनांक 31.03.11 की वसूली शेष थी। इसमें से कुछेक संविदाकारों को लगभग 6 वर्ष पहले यह राषियाँ दी गई थी, परन्तु उनकी अभी तक वसूली नहीं की गई। इस बारे गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी आपत्ति उठाई गई थीं अतः सुरक्षित अग्रिम राषियों की वसूली संविदाकारों से यथाषीघ्र की जानी सुनिष्चित की जाएं। दिनांक 31.03.11 को असमायोजित सुरक्षित अग्रिम राषि का विवरण निम्न प्रकार से था :–

Øe l[;k	lfonkdkj dk uke	vucU/k l[;k	jkf'k
1	मैसर्ज सांई इलैक्ट्रीकल संजौली, षिमला–6	19 वर्ष 2007–08	2,93,250.00
		8 वर्ष 2007–08	4,04,475.00
		11 वर्ष 2007–08	57,000.00
2	मैं0 भारद्वाज इलैक्ट्रीकल कम्पनी, षिमला–9	16 वर्ष 2007–08	58,368.00
3	मैं0 मोहन शर्मा, इलैक्ट्रीकल कोनट्रैक्टर, रोहडू	33 वर्ष 2006–07	35,002.00
4	मैं0 कालरा हार्डव्येर एंड इलेक्ट्रीकल स्टोर, दी माल षिमला	5 वर्ष 2004–05	50,145.00
		18 वर्ष 2006–07	53,018.00
		23 वर्ष 2007–08	51,375.00
5	मैं0 इलैक्ट्रीकल ट्रेडर रामपुर	29 वर्ष 2006–07	84,900.00
		25 वर्ष 2010–11	1,37,295.00
		26 वर्ष 2010–11	1,37,295.00

		32 वर्ष 2010—11	1,47,188.00
6	इंजीनियर, डी0एस0 रान्टा कोन्ट्रैक्टर कसुम्पटी	15 वर्ष 2007—08	3,92,225.00
7	मैं0 शर्मा एंड कम्पनी 25, गंज रोड षिमला	22 वर्ष 2005—06	2,60,865.00
8	मैं0 सुरेन्दरा इलैक्ट्रीकल एंड जनरल स्टोर नाहन	20 वर्ष 2005—06	11,813.00
		32 वर्ष 2006—07	68,100.00
9	मैं0 चढा एंड कम्पनी सोलन	2 वर्ष 2007—08	38,376.00
		10 वर्ष 2007—08	28,350.00
10	श्री प्रकाष चन्द कोन्ट्रैक्टर, न्यू षिमला	10 वर्ष 2009—10	75,117.00
		dy ;kx	₹23]84]157-00

6 fgekpy in'k jkT; fo|r ckM ls fu{ki dk;ki grq tek jkf'k ₹5108-51 yk[k d mi;kfxrk iek.k i= ikIr u djuk %&

विद्युत मण्डल षिमला द्वारा कार्यों 'प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल इलैक्ट्रीकल इन्स्टालेषन' के लिए हिमाचल प्रदेष राज्य विद्युत बोर्ड के पास दिनांक 31.03.11 तक ₹51,08,51,209.00 की राषि जमा करवाई गई थी इन कार्यों में से अधिकांष को हिमाचल प्रदेष राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा पूर्ण कर लिया गया है परन्तु विद्युत बोर्ड से उपयोग की गई राषियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए गए जिन्हें अब प्राप्त किया जाए। इसके अतिरिक्त यदि हिमाचल प्रदेष विद्युत बोर्ड के पास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कोई राषि शेष बचती है तो उसे वापिस लिया जाना सुनिष्चित किया जाए। कार्य करवाने के लिए हिमाचल प्रदेष राज्य विद्युत बोर्ड के पास जमा करवाई गई राषि का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''ख'' पर दिया गया है। पूर्ण किए गए कार्य क्या प्रस्तुत प्राक्कलन जिनके आधार पर राषि जमा करवाई गई थी के अनुरूप थे के बारे में विभागीय जाँच करवाना सुनिष्चित करें। यदि प्रस्तुत प्राक्कलन व वास्तव में किए गए कार्य में कोई विचलन हो तो इस विचलन का कार्य के मुल्य पर पड़ने वाले प्रभाव का आंकलन विभागीय तौर पर करवाना सुनिष्चित करें। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 okguk dh bZ/ku [kir fu/kkfjr eki n.Mk ls de gkus d dkj.k ₹0-88 yk[k dh olyh %&

हिमाचल प्रदेष सरकार के सामान्य प्रषासन विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या जी0ए0डी0–ए(डी)–1–96, दिनांक 21.01.97 द्वारा विभिन्न वाहनों की ईंधन खपत निम्न प्रकार से निर्धारित की गई :–

okgu	LFkkuh; ;k=k izfr fyVj	yEch nwjh dh ;k=k izfr fyVj
कन्टैसा कार	6.00 किलो मीटर	7.50 किलो मीटर
अम्बैस्डर कार	6.00 किलो मीटर	7.50 किलो मीटर
मारूति जिप्सी	8.00 किलो मीटर	9.00 किलो मीटर
मारूति वैन	9.00 किलो मीटर	10.00 किलो मीटर
बलैरो बी0एक्स0 आई0	9.00 किलो मीटर	10.00 किलो मीटर
एस्टीम एल0एक्स0	9.00 किलो मीटर	10.00 किलो मीटर

हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा निर्धारित उपरोक्त माप दण्ड न केवल हिमाचल प्रदेष के अन्य विभागों / बोर्डों इत्यादि की भांति हिमुडा पर भी अक्षरषः लागू होते हैं अपितु इन माप दण्डों को लागू करने के लिए सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमुडा द्वारा भी अनुदेष जारी किए गए हैं इन अनुदेषों की पालाना न होने की स्थिति में ईंधन की अधिक खपत की अवस्था में सम्बन्धित चालकों से वसूली की जानी अपेक्षित थी, किन्तु हिमुडा के प्रकरण में पाया गया कि दिनांक 31.03.11 तक निम्न विवरणानुसार विभिन्न चालकों से ईंधन की अधिक खपत के कारण 88019.00 की वसूली नहीं की गई।

de vkSlr ds dkj.k bZa/ku dh vf/kd [kir dk fooj.k fuEu izdkj ls gS %&

¼1½ <u>okgu la[;k ,p0ih0&03ch&0744 ¼,LVhe½</u>

ekg	ekg ds nkSjku okgu }kjk r; nwjh	ljdkj }kjk fu/kkZfjr 10 fd0eh0 izfr fyVj dh vkSlr ls bZa/ku dh ftruh [kir gksuh pkfg, Fkh	ekg ds nkSjku bZa/ku dh okLrfod [kir	bZa/ku dh vf/kd [kir	nj	jkf'k
	¼fd0eh0½	¼yhVj½	¼yhVj½	¼yhVj½	¼₹½	¼₹½
05 / 10	2545	254.5	264	9.5	52.12	495.14
06210	1255	125.5	140	14.5	49.88	723.26
07 / 10	1385	138.5	153	14.5	53.8	780.10
08 / 10	1406	140.6	142	1.4	54	75.60
09 / 10	1147	114.7	128	13.3	54	718.20

10／10	1372	137.2	147	9.8	54.5	534.10
12／10	1589	158.9	175	16.1	58.44	940.10
01／11	1527	152.7	200	47.3	60.3	2852.19
02／11	3128	312.8	332	19.2	61.04	1171.96
03／11	2028	202.8	218	15.2	61.04	927.80
						₹9218-45

¼2½ okgu la[;k% ,p0ih0&03 lh&6030 ¼ldkfiZ;k½

ekg	ekg ds nkjku okgu }kjk r; nwjh	ljdkj }kjk fu/kkZfjr 8 fd0eh0 izfr yhVj dh vkSlr ls bZa/ku dh ftruh [kir gksuh pkfg, Fkh	ekg ds nkjku bZa/ku dh okLrfod [kir	bZa/ku dh vf/kd [kir	nj	jkf'k
	¼fd0eh0½	¼yhVj½	¼yhVj½	¼yhVj½	¼₹½	¼₹½
05／10	1869	233.6	292	58.4	36.3	2119.92
07／10	646	80.75	90	9.25	44.34	410.15
08／10	2563	320.37	338	17.63	38.56	679.80
09／10	1459	182.37	186	3.63	38.50	139.75
10／10	486	60.75	63	2.25	38.50	86.60
11／10	2026	253.25	268	14.75	35.13	518.17
12／10	777	97.13	105	7.87	38.55	303.38
01／11	483	60.37	70	9.63	38.56	371.33
02／11	573	71.62	77	5.38	38.26	205.80
03／11	1038	129.75	172	42.25	38.55	1628.73
						₹6463-63

¼3½ okgu la[;k% ,p0ih0&07,&0592 ¼,LVhe½

ekg	ekg ds nkjku okgu }kjk r; nwjh	ljdkj }kjk fu/kkZfjr 10 fd0eh0 izfr yhVj dh vkSlr ls bZa/ku dh ftruh [kir gksuh pkfg, Fkh	ekg ds nkjku bZa/ku dh okLrfod [kir	bZa/ku dh vf/kd [kir	nj	jkf'k

	¼fd0eh0½	¼yhVj½	¼yhVj½	¼yhVj½	¼₹½	¼₹½
04／10	1560	156	164	8	49.22	393.76
06／10	2767	272.7	292	15.3	52.3	800.19
07／10	2104	210.4	222	11.6	53.5	620.60
08／10	2702	270.2	313	42.8	53.83	2303.90
09／10	1254	125.4	132	6.6	53.5	353.10
10／10	712	71.2	81	9.8	54.95	538.51
11／10	802	80.2	86	5.8	55.35	321.03
01／11	1669	166.9	185	18.1	60.35	1092.30
02／11	1681	168.10	183	14.9	60.35	899.20
						₹7322-59

¼4½ okgu l[;k ,p0ih0&03&1623 ¼ftIlh½

ekg	ekg dk nkSjku okgu }kjk r; nwjh	ljdkj }kjk fu/kkZfjr 8 fd0eh0 izfr fyVj dh vkSlr ls bZ/ku dh ftruh [kir gksuh pkfg, Fkh	ekg dk nkSjku bZ/ku dh okLrfod [kir	bZ/ku dh vf/kd [kir	nj	jkf'k
	¼fd0eh0½	¼yhVj½	¼yhVj½	¼yhVj½	¼₹½	¼₹½
04／10	1778	222.25	284.26	62.01	56.21	3485.58
05／10	2661	332.62	436.25	103.63	49.5	5129.68
07／10	2931	366.37	464.38	98.01	54.08	5300.38
07／10	3235	404.37	507.55	103.18	53.21	5490.20
08／10	1871	234	307.47	73.47	53.8	3952.68
09／10	2873	359.12	464	104.87	54.2	5683.95
10／10	2608	326	419.1	93.1	54.9	5111.19
11／10	917	114.6	174	59.4	57.8	3433.31
12／10	2190	273.7	364.3	90.6	58.4	5291.04
01／11	2601	325.12	426	101	61	6161.00
02／11	2414	301.75	358	56.25	63.5	3571.80
03／11	3244	405.5	546	140.5	61	8570.50
						₹61181-31

¼5½ okgu l[;k ,p0ih0&03 lh&2781 ¼ek:rh 800½

ekg	ekg dk nkSjku okgu }kjk r; nwjh	ljdkj }kjk fu/kkZfjr 10 fd0eh0 izfr yhVj dh vkSlr ls b±/ku dh ftruh [kir gksuh pkfg, Fkh	ekg dk nkSjku b±/ku dh okLrfod [kir	b±/ku dh vf/kd [kir	nj	jkf'k
	¼fd0eh0½	¼yhVj½	¼yhVj½	¼yhVj½	¼₹½	¼₹½
06／10	849	84.9	109	24.1	53.78	1296.00
08／10	1949	194.9	204	9.1	54.17	492.94
09／10	944	94.4	113	18.6	56.42	1049.40
10／10	836	83.6	95	11.4	54.95	626.43
01／11	1080	108	114	6	61.31	367.86
						₹3832-63

8 okgukas dh b±/ku [kir fu/kkZfjr u djuk %&

सामानय प्रषासन विभाग, हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा पत्र संख्या जी0ए0डी0(डी)1–1／96, दिनांक 21.01.97 तथा जी0ए0डी0–1–1／46, दिनांक 04.02.06 द्वारा जिन विभिन्न वाहनों की ईंधन खपत प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई है, हिमुडा द्वारा उन वाहनों के अतिरिक्त भी निम्न वाहन अंकेक्षण अवधि में चलाए गए हैं :–

Øe la[;k	okgu dk fooj.k
1	एच0पी0–07सी0–0030 (टवैरा)
2	एच0पी0–03सी–0022 (एस0एक्स–IV)
3	एच0पी0–51ए–0024 (इन्नोवा)

परन्तु अंकेक्षण को इन वाहनों की औसतन ईंधन खपत जांचने हेतु निर्धारित माप दण्डों की प्रति उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके अभाव में इन वाहनों में सरकार द्वारा निर्धारित ईंधन खपत से कितनी अधिक ईंधन की खपत की गई, की जाँच अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। इन वाहनों द्वारा अंकेक्षण अवधि में माहवार तय की गई दूरी, माहवार ईंधन की खपत तथा माहवार प्रति लिटर ईंधन से तय की गई दूरी का विवरण निम्नानुसार है :–

¼1½ okgu la[;k ,p0ih0&07 lh&0030 ¼VoSjk½

ekg	ekg dk nkSjku r;	ekg dk nkSjku b±/ku	ekg dk nkSjku okgu

	njh	dh dhy [kir	dh vkSlr
	fdyks ehVj	yhVj	yhVj
07／10	1197	194	6.17
08／10	1183	136	8.69
09／10	1562	213	7.33
10／10	1830	279	6.56
11／10	2472	296	8.35
12／10	458	61	7.50
01／2011	395	55	7.18
02／2011	813	96	8.46
03／2011	646	95	6.8

¼**2**½ okgu la[;k ,p0ih0&07 lh&0022 ¼,l0,Dl&**IV**½

ekg	ekg dk nkSjku r; njh	ekg dk nkSjku bZa/ku dh dhy [kir	ekg dk nkSjku okgu dh vkSlr
	fdyks ehVj	yhVj	yhVj
04／10	3989	453	8.80
05／10	3002	345	8.70
06／10	3374	392	8.60
07／10	5406	617	8.76
08／10	3057	351	8.70
09／10	3691	428	8.62
10／2010	3089	329	9.38
11／2010	1434	196	7.31
12／2010	4638	540.28	8.58
01／11	4636	524	8.84
02／11	3958	405	7.30
03／11	3381	388	8.71

¼**3**½ okgu la[;k ,p0ih0&51,&0024 ¼bukok½

ekg	ekg dk nkSjku r; njh	ekg dk nkSjku bZa/ku dh dhy [kir	ekg dk nkSjku okgu dh vkSlr
	fdyks ehVj	yhVj	yhVj
04／10	6713	779.21	8.61
05／10	5240	672	7.79
06／10	4295	561	7.65
07／10	3707	400	9.26

08 / 10	408	42	9.71
09 / 10	6216	742	8.37
10 / 2010	2696	252	10.69
11 / 2010	5315	759.63	6.99
12 / 2010	2058	263	7.82
01 / 11	6227	750	8.30
02 / 11	5770	690	8.36
03 / 11	5496	622.88	8.82

9 okgu l[;k ,p0ih0&07lh&0030 ¼Vojk½ dh fnukad 08-04-10 ls 04-07-10 rd dh ykWx cqd esa 3748 dh ;k=k dk u n'kkZus ds dkj.k ₹0-23 yk[k ds bZa/ku dk lEHkkfor nqfoZfu;kstu ¼&

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वाहन संख्याः एच0पी0–07सी–0030 की दिनांक 08.04.10 से 04.07.10 तक की लॉग बुक लिखी नहीं गई थी। जबकि इस अवधि के दौरान वाहन द्वारा (69743–65995) = 3748 किलो मीटर की यात्रा की गई थी। इस प्रकार उक्त अवधि की लॉग बुक न लिखने/भरने के कारण उकत अवधि में किस अधिकारी द्वारा किस उद्देष्य से किस–किस स्थान की यात्रा की गई, की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। इस प्रकार लोग बुक में दर्षाई गई उक्त 3748 किलोमीटर की यात्रा को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित न किए जाने के कारण उक्त अवधि में 3748X38.56/6.17 ईंधन के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः लोग बुक न भरने/लिखने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹23423.00 के ईधन की वसूली सम्बन्धित चालक से शीघ्र की जानी सुनिष्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

10 okgu l[;k ,p0ih0&03lh&2781 dh ykWx cqd esa ;k=k dk fooj.k u fn, tkus ckjs ¼&

¼1½ उपरोक्त वाहन की लॉग बुक में दिनांक 12.05.2010 को मीटर रिडिंग के अनुसार 15099 से 15173 की 74 किलो मीटर की यात्रा पैन से न लिख कर पैंसिल द्वारा लिखी गई थी, जो कि नियमों के विपरीत है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त लॉग बुक के स्तम्ब 7,8,9 व 10 में उपरोक्त यात्रा किस अधिकारी द्वारा किन–किन स्थानों पर किस उद्देष्य से की गई का कोई विवरण लॉग बुक में नहीं दिया गया। जोकि नियमों के विपरीत है जिसे बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उक्त यात्रा की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से शीघ्र की जानी सुनिष्चित की जाए। अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को शीघ्र अवगत किया जाए।

¼2½ लॉग बुक में दिनांक 18.05.10 से 31.05.10, 01.11.10 से 30.11.10 व 22.12.10 से 31.12.10 तक की लॉग बुक में मीटर द्वारा दर्षाई गई दूरी में ओवर राईटिंग की गई है जो कि नियमों के विपरीत है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

¼3½ वाहन संख्याः एच0पी0–03सी–2781 की लॉग बुक के अनुसार निम्न पैट्रोल हिम फैड से खरीदा गया परन्तु हिमफैड की मुहर लॉग बुक में नहीं लगाई गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की चूक न दोहराई जानी सुनिष्चित की जाए।

fnukd	fcy l[;k	ek=k	nj	jkf'k
23.01.11	013883	26 लीटर	61.04	1587.00
19.01.11	013597	25 लीटर	दर्षाया नहीं गया	दर्षाया नहीं गया

11 Hk.Mkj dk iR;{k lR;kiu u fd;k tkuk ¼&

हिमाचल प्रदेष वित्तीय नियमों के अनुसार भण्डार की मदों का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किया जाना अनिवार्य है, परन्तु हिमुडा विद्युत मण्डल के अभिलेख के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2010–11 के दौरान भण्डार का प्रत्यक्ष नहीं किया गया। अतः उपरोक्त नियमों के दृष्टिगत भण्डार का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र की जाए। अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत किया जाए।

12 y?kq vkifÙk foojf.kdk ¼& लघु आपत्तियों का निपटारा स्थल पर ही कर दिया गया, इस कारण इसे जारी नहीं किया गया।

13 fu"d"kZ ¼& वर्तमान व गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु कारगर कार्यवाही करने की आवष्यकता है।

mi funs'kd]
LFkkuh; ys[kk ijh{kk foHkkx]
fgekpy insz'k] f'keyk&171009-

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)135/90–खण्ड–6 दिनांक, षिमला–171009

प्रतिलिपि :–

izfrfyfi ¼& 1 प्रधान सचिव आवास हिमाचल प्रदेष सरकार षिमला–9.

2 सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेष आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम बिहार षिमला–171002.

3 अधिषाषी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेष आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण विद्युत मण्डल फेज–III, न्यू षिमला को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई उचित कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिषीघ्र भेजें।

mi funs'kd]
LFkkuh; ys[kk ijh{kk foHkkx]
fgekpy ins'k] f'keyk&171009-

ifjf'k"V ^d**

¼1½ vkd{k.k izfrosnu vof/k 04@92 ls 03@93

1	पैरा 15	अनिर्णीत

¼2½ vkd{k.k izfrosnu vof/k 04@95 ls 03@96

1	पैरा 22	अनिर्णीत

¼3½ vkd{k.k izfrosnu vof/k 04@97 ls 03@98

1	पैरा 29	अनिर्णीत

¼4½ vkd{k.k izfrosnu vof/k 04@98 ls 03@99

1	पैरा 23	अनिर्णीत

¼5½ vkd{k.k izfrosnu vof/k 04@99 ls 03@2000

1	पैरा 18	अनिर्णीत

¼6½ vkd{k.k izfrosnu vof/k 04@2000 ls 03@2001

1	पैरा 11	अनिर्णीत
2	पैरा 29	अनिर्णीत

¼7½ vkd{k.k izfrosnu vof/k 04@2001 ls 03@2002

1	पैरा 15	अनिर्णीत
2	पैरा 26	अनिर्णीत

¼8½ vkd{k.k izfrosnu vof/k 04@2002 ls 03@2003

1	पैरा 23	अनिर्णीत

¼9½ vkd{k.k izfrosnu vof/k 04@2003 ls 03@2004

1	पैरा 7	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति इस प्रतिवेदन मे दर्षाई गई है)
2	पैरा 14	निर्णीत	(सामग्री की खपत की जाँच कर ली गई)
3	पैरा 15	अनिर्णीत	
4	पैरा 17	अनिर्णीत	
5	पैरा 20	अनिर्णीत	

¼10½ vid{k.k ifronu vof/k 04@2004 l 03@2005

1	पैरा 7	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति इस प्रतिवदेन में दर्षाई गई है)
2	पैरा 10(क) से (ड)	अनिर्णीत	
3	पैरा 18	अनिर्णीत	

¼11½ vid{k.k ifronu vof/k 04@2005 l 03@2006

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 8	अनिर्णीत
3	पैरा 9	अनिर्णीत
4	पैरा 12	अनिर्णीत
5	पैरा 14	अनिर्णीत

¼12½ vid{k.k ifronu vof/k 04@2006 l 03@2007

1	पैरा 6(1,2,3)	निर्णीत
2	पैरा 7(6)	निर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 12	अनिर्णीत
5	पैरा 14	निर्णीत

¼13½ vid{k.k ifronu vof/k 04@2007 l 03@2008

1	पैरा 6	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति इस प्रतिवेदन में दर्षाई गई है)
2	पैरा 8	अनिर्णीत	
3	पैरा 10	अनिर्णीत	
4	पैरा 11(क)	अनिर्णीत	
5	पैरा 13	अनिर्णीत	

¼14½ vid{k.k ifronu vof/k 04@2008 l 03@2009

1	पैरा 6	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति इस प्रतिवेदन में दर्षाई गई है)
2	पैरा 7	अनिर्णीत	
3	पैरा 8	अनिर्णीत	
4	पैरा 9	अनिर्णीत	

5	पैरा 10	अनिर्णीत	
6	पैरा 11	अनिर्णीत	
7	पैरा 12 (क,ख, ग, घ)	अनिर्णीत	

¼15½ vadsk{k.k ifrosnu vof/k 04@2009 ls 03@2010

1	पैरा 4(क)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में समाविष्ट है)
2	पैरा 4(ख)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में समाविष्ट है)
3	पैरा 5	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में समाविष्ट है)
4	पैरा 6	अनिर्णीत	
5	पैरा 7	अनिर्णीत	
6	पैरा 8	अनिर्णीत	
7	पैरा 9	निर्णीत	
8	पैरा 10	अनिर्णीत	
9	पैरा 11	अनिर्णीत	
10	पैरा 12	अनिर्णीत	
11	पैरा 13	अनिर्णीत	
12	पैरा 14	निर्णीत	
13	पैरा 15	निर्णीत	
14	पैरा 16	अनिर्णीत	